संख्या-1/2017/299/12-6-2017-54/2000

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,

कृषि उत्पादन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 12 दिसम्बर, 2017**

विषयः- मा0 स्व0 चौधरी चरण सिंह, (भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी) के जन्म दिवस दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को "किसान सम्मान दिवस" के रूप में मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के प्रत्रांक-प्रसार (01) 1619/कि0स0दि0, दिनांक 23-11-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भॉति वर्तमान वर्ष 2017-18 में भी मा0 स्व0 चौधरी चरण सिंह (भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी) के जन्म दिवस दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को "किसान सम्मान दिवस" के रूप में समुचित निष्ठा एवं गरिमा के साथ मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- **"किसान सम्मान दिवस"** मनाये जाने हेतु निम्नांकित कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जायः-

1. "किसान सम्मान दिवस" राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित किया जाय।
2. दिनांक 23-12-2017 को राज्य स्तर पर लखनऊ में कृषि भवन स्थित प्रेक्षागृह में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाय। उक्त अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 कृषि मंत्री जी/मा0 कृषि राज्यमंत्री व अन्य मा0 मंत्रीगण को आमंत्रित किया जाय, लखनऊ में आयोजित होने वाले समस्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम मण्डलायुक्त, लखनऊ की देख-रेख में सम्पन्न होंगे।
3. "किसान सम्मान दिवस" के उपलक्ष्य में किसान गोष्ठी एवं किसान प्रदर्शनी आयोजित की जाय और किसानों को सम्मानित किया जाय।
4. मुख्य समारोह में परम्परागत खेती में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे किसानों को भी सम्मानित किया जायेगा, जिन्होंने कृषि विविधीकरण अथवा औद्यानिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। उद्यान, डेरी, पशुपालन एवं शाक-भाजी उत्पादन में चयनित किसानों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाय। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी करके उक्त श्रेणी के किसानों के सम्बन्ध में संस्तुति समय रहते प्राप्त करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित **"किसान सम्मान दिवस"** के आयोजन पर कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किसान विकास गोष्ठी एवं प्रदर्शनी तथा किसान मेलों का आयोजन करेंगे। इन आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बन्धित जनपद से मा0 मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अपने स्तर से आमंत्रित करेंगे।

6. कृषि एवं सम्बद्ध विभाग यथा-सहकारिता विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास विभाग, रेशम विभाग एवं गन्ना विभागों को "किसान सम्मान दिवस" कार्यक्रम एवं विकास गोष्ठी में सक्रिय रूप से सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय।

7. विगत वर्षों की भॉति प्रदेश के सभी जिलाधिकारी अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर दिनांक 23-12-2017 को **"किसान सम्मान दिवस"** के आयोजन पर किसान गोष्ठी एवं कृषि प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।

8. "किसान सम्मान दिवस" के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों हेतु प्रदेश शासन के नोडल अधिकारी, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार "किसान सम्मान दिवस" पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-1/2017/299(1)/12-6-2017-54/2000, तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी को मा0 कृषि मंत्री जी (श्री सूर्य प्रताप शाही जी) के अवलोकनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 कृषि राज्य मंत्री जी (श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह जी) के अवलोकनार्थ।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10- निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
11- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारिता भवन, लखनऊ।
14- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, लखनऊ।
16- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
17- निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
18- महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद्, लखनऊ।
19- कुलपति नरेन्द्रदेव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
20- कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर।
21- कुलपति, सैम हिंग्गिन बांटम इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलाजी एण्ड साइंसेज, नैनी, इलाहाबाद।
22- कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम, मेरठ।
23- कुलपति, बॉदा, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा।
24- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
25- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
26- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
27- परियोजना समन्वयक, यू0पी0 डास्प, लखनऊ।
28- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा लखनऊ।
29- समस्त मंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
30- समस्त उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
31- कृषि/कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

आज्ञा से,

(सर्वजीत राम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।